संख्या-28/2016/932/74-2016-03(ब)/2016

प्रेषक,

मुकुल सिंहल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

रेशम विकास अनुभाग लखनऊ:: दिनांक 28 जुलाई, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) में लेखा शीर्षक "4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-107-रेशम उत्पादन उद्योग-आयोजनागत-07-रेशम विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-42/सेरी0/लेखा/आयो0बजट/2016-17 दिनांक 25 अप्रैल, 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) में लेखा शीर्षक "4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-107-रेशम उत्पादन उद्योग-आयोजनागत-07-रेशम विकास योजना के अन्तर्गत मानक मद 24-वृहत् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 23500 हजार के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में रू0 11500 हजार (रूपया एक करोड पन्द्रह लाख मात्र) की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है :-

(1) निर्माण कार्य हेतु प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत धनराशि का 75 प्रतिशत अंश उपयोग होने और कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने पर दूसरी किस्त अवमुक्त की जायेगी एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से सम्परीक्षित लेखें अवश्य प्राप्त कर लिये जाये।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति/सहमति शासन से अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृति धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता का विशेष ध्यान रखा जाय तथा मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का सम्पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जाय। किसी भी प्रकार के विचलन/ दुरूपयोग की स्थिति में निदेशक, रेशम, उ0प्र0 स्वयं जिम्मेदार/ उत्तरदायी होगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) निर्माण कार्यो के लिए सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) आदि के निर्धारण हेतु वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25 जनवरी, 2011 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

2- वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) में लेखा शीर्षक "4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-107-रेशम उत्पादन उद्योग-आयोजनागत-07-रेशम विकास योजना के अन्तर्गत मानक मद 24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016- 231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में दिये गये प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(मुकुल सिंहल)
प्रमुख सचिव।

संख्या-28/2016/932(1)/74-2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम 20 सरोजनी नायडू मार्ग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
(6) नियोजन अनुभाग-4
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरिशंकर भट्ट)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।